ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस

निवेशकों पर विनियामक (रेग्यूलेटरी) भार कम करेगी उत्तर प्रदेश सरकार

- *मुख्य सचिव ने निवेशक–फीडबैक की मासिक समीक्षा का दिया आदेश*
- *फीडबैक पर प्राप्त प्रतिकूल तथ्यों के लिए अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर की जाएगी विभागीय कार्यवाही तथा यथावश्यकता विभागीय प्रक्रियाओं में किया जाएगा संशोधन*
- *74 प्रतिशत् यूज़र्स उद्योग और व्यवसाय से संबंधित सरकारी सेवाओं की डिलीवरी से हैं संतुष्ट*
- *80 आवश्यक प्रक्रियाओं में से विभिन्न विभागों के 52 अनुपालनों का किया गया सरलीकरण*
- *सिंगल विण्डो पोर्टल निवेश मित्र पर उपलब्ध ऑनलाइन सेवाओं हेतु विभागीय निवेशक–फीडबैक डैशबोर्ड का किया गया विकास*

लखनऊ, 15 दिसम्बर :

उत्तर प्रदेश में ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में उत्तरोत्तर सुधार सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा निवेशक–प्रतिक्रिया (फीडबैक) के आधार पर विभिन्न विभागों द्वारा फीडबैक की नियमित समीक्षा एवं प्रक्रियाओं के सरलीकरण सहित अनेक कदम उठाए जा रहे हैं।

इस संबंध में **प्रदेश के मुख्य सचिव, श्री आर. के. तिवारी ने सभी संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिवों और प्रमुख सचिवों** को सिंगल विण्डो पोर्टल, निवेश मित्र पर उपलब्ध ऑनलाइन सेवाओं के संदर्भ में **प्रत्येक माह निवेशक–फीडबैक की नियमित समीक्षा करने तथा समयबद्ध कार्यवाही सहित यदि आवश्यक हो तो विभागीय प्रक्रियाओं में संशोधन करने के निर्देश दिए हैं।**

निवेश मित्र पोर्टल के उपयोगकर्ताओं (यूज़र्स) की प्रतिक्रिया के मूल्यांकन के आधार पर भारत सरकार द्वारा ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में राज्यों की रैंकिंग का उल्लेख करते हुए **मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि निवेशकों के फीडबैक के आधार पर सेवाओं को प्रदान करने में विलम्ब या निर्धारित प्रक्रियाओं के प्रतिकूल कार्यवाही से संबंधित मामलों में विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध उत्तरदायित्व तय करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए।**

अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, श्री आलोक कुमार ने बताया कि सिंगल विण्डो पोर्टल के यूज़र्स के फीडबैक की मासिक समीक्षा इन्वेस्ट यूपी के स्तर पर भी की जाती है। **उन्होंने बताया** कि निवेश मित्र पोर्टल पर निवेशकों द्वारा फीडबैक की सुविधा सितम्बर 2019 में प्रारम्भ की गई थी तथा अब तक प्राप्त फीडबैक डेटा के अनुसार 1,16,032 यूज़र्स में से **74 प्रतिशत्, अर्थात् 88,089 ने पूर्णतः 'संतुष्ट' होने का फीडबैक दिया है**, जबकि 12 प्रतिशत् कुछ कम संतुष्ट तथा 14 प्रतिशत् यूज़र्स स्वीकृतियां प्रदान करने की सेवाओं से संतुष्ट नहीं थे।

श्री आलोक कुमार ने कहा– *"विभाग–स्तरीय समीक्षा तंत्र, सेवाओं से उक्त असंतुष्ट उद्यमियों की समस्याओं व शिकायतों को समझने और हल करने के लिए तैयार किया जा रहा है।"* **उन्होंने कहा** कि इस उद्देश्य के लिए 'इन्वेस्ट यूपी' वर्तमान शिकायत निवारण मॉड्यूल एवं 'यूजर फीडबैक' मॉड्यूल के उन्नत संस्करण भी विकसित कर रहा है।

अपर मुख्य सचिव ने सूचित किया कि निवेशकों पर विनियामक (रेग्यूलेटरी) भार को और कम करने के लिए राज्य सरकार ने अब तक **15 विभागों में 80 प्रक्रियात्मक अनुपालनों को चिन्हित किया है, जिनमें से 52 का सरलीकरण किया जा चुका है।**

ज्ञात हो कि **'इन्वेस्ट यूपी' (निवेश प्रोत्साहन और सुविधा एजेंसी) द्वारा निवेश मित्र पोर्टल पर एक विभागीय निवेशक–फीडबैक डैशबोर्ड विकसित किया गया है।** इस डैशबोर्ड पर ऑनलाइन सेवाओं के बारे में उपयोगकर्ताओं (यूज़र्स) की प्रतिक्रियाओं के श्रेणीवार आंकड़े और प्रत्येक प्रकरण के फीडबैक की सूचना भी उपलब्ध हैं। संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव को डैशबोर्ड का उपयोग करने के लिए अलग से यूजर आईडी एवं पासवर्ड उपलब्ध कराया जा रहा है।